न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2018 (बांसवाड़ा डिक्री)

गोकुल पिता श्री गवरीशंकर, जाति खेडवा ब्राहमण, निवासी ग्राम तलवाडा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र पिता श्री गवरीशंकर, जाति खेडवा ब्राहमण, निवासी ग्राम तलवाडा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. तहसीलदार, तहसील कार्यालय बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा
प्रा.डिक्री दिनांक 16.10.14 एवं अंतिम
डिक्री दिनांक 24.02.15 प्र.सं. 49/11

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री यशपाल गुप्ता अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1
3. राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———:::———

निर्णय **दिनांक 20–06–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 317 नया पुराना 290 के सर्वे नंबर 1033 रकबा 14 बिस्वा एवं सर्वे नंबर 1034 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम तलवाड़ा में स्थित है। उक्त आराजियात में वादी व प्रतिवादी का 1/2, 1/2 हिस्सा है। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात पर कब्जा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का है तथा उसके द्वारा ही लगान अदा किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गौरी शंकर जी ने उपरोक्त आराजियात सहित अन्य चल–अलच सम्पत्ति का विभाजन दिनांक 20–03–1991 को कर दिया था, जिससे अनुसार विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई हैं। उक्त दिनांक से प्रतिवादी संख्या 1 अकेले विवादित आराजियात पर काबिज होकर फसल ले रहा है, लेकिन सहवन से वादी का नाम भी उपरोक्त आराजियात में अंकित हो गया है, जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त काउण्टर का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर काउण्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को झूठा एवं बनावटी होना बताया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गवरी शंकर की मृत्यु पर नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 18–06–1975 को खोला गया तब से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। दिनांक 20–03–1991 का बंटवारानामा अपंजीकृत होकर पर्याप्त स्टाम्प पर नहीं है एवं इसकी जानकारी भी वादी को कभी नहीं रही। अतः प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर 4 तनकियात कायम की गयी एवं अपने निर्णय दिनांक 16–10–2014 से वादी का वाद स्वीकार कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 24–02–2015 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–05–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त भूमि के मुआवजे की कार्यवाही में अपना हक जताया, जिस पर अपीलान्ट ने कहा कि सारी जमीन का मालिक वह है, तब रेस्पोन्डेन्ट ने कहा कि उसके पक्ष में फैसला हो चुका है, जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 11–04–2018 को नकल क[illegible] पत्र प्रस्तुत किया जो उसे दिनांक 16–04–2018 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:05 IST
Reason: SelfAttested

हुई। देरी का वास्तविक कारण है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16—10—2014 को अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता की उपस्थिति पारित की गयी है, तद्नुसार उन्हें दिनांक 11—04—2018 को जानकारी होने का कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण धारा 5 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन नहीं किया है तथा साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन नहीं कर विधिक त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम पर कोई विवेचन नहीं किया गया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श पी.1 जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 में विवादित आराजी नंबर 1033 व 1034 अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा प्रदर्श पी.2 जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 में यह भूमि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता श्री ग[illegible] श[illegible] के खातेदारी में दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट का कथन है कि दिनांक 20–03–1991 में हुए विभाजन अनुसार उक्त समस्त आराजियात उसके हिस्से में आयी है, किन्तु उक्त विभाजननामा अनरिजस्टर्ड है एवं पर्याप्त स्टाम्प पर भी नहीं है, जिससे उक्त विभाजननामा को साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है, जबकि दूसरी ओर वादी अर्थात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 उक्त आराजियात के 1/2 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की एक ही अपील की गयी है, जबकि विधि अनुसार दोनों की अलग–अलग अपील करनी चाहिए थी। तद्नुसार भी अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16–10–2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24–02–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:05 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

गोकुल पिता गवरीशंकर जाति खेडवा ब्राहमण, नि0 ग्राम तलवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा बनाम **महेन्द्र पिता गवरीशंकर जाति खेडवा ब्राहमण, नि0 ग्राम तलवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**16/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बांसवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**16**.....माह.....**10**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**06**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री यशपाल गुप्ता**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री मुकेश द्विवेदी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16–10–2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24–02–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**06**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:05 IST
Reason: SelfAttested